न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी--श्री राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या-- 353/2014

बउनवान

तोलाराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति--मीणा निवासी--आंकेड़ी तहसील--बारां जिला--बारां (राज.)
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा--75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :--1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक-- 06.12.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.04.2007 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा--75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम--आकेड़ी, तहसील--बारां की आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नंबर 16 रकबा 0.40 है. किस्म--चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 700/--रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये बगैर सजायाब किया गया है। अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही अपीलान्ट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.04.2007 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:59 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु नियत की गई।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का

कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पत्रावली पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है ना ही मौके पर कब्जे की कोई पुष्टि हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.04.2007 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने पर संवत् 2061 में प्र.सं. 764/05 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.05 को बेदखल किया गया है। इस प्रकार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 734/05 निर्णय दिनांक 22.03.2005 से बेदखल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1283/06 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:59 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)